



मैं OM MINIRAJ BUILDING AND CONSTRUCTION SERVICES PRIVATE LIMITED कम्पनी मे अपनी इच्छानुसार कंस्ट्रक्शन कार्य को कम्पनी के टर्म कंडीशन पर कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से बिना किसी दबाव मे आ कर कंस्ट्रक्शन कार्य को पुरा करने मे समर्थ हूँ और कम्पनी कि हर शर्त मुझे स्वीकार है ।

कम्पनी द्वारा दी जाने वाली पेमेंट इस प्रकार से है.

- | | |
|-------------------|------------------------|
| (1) पहली पेमेंट | 15% DPC लगने पर |
| (2) दुसरी पेमेंट | 15% डौर लैटर लगने पर |
| (3) तीसरी पेमेंट | 30% लैनटर लगने पर |
| (4) चौथी पेमेंट | 15% पलस्तर होने पर |
| (5) पांचवी पेमेंट | 15% कच्चा फर्श |
| (6) छठी पेमेंट | 10% कार्य पुरा होने पर |

मैं

ठेकेदार.....S/O.....
निवासी.....का रहने वाला हू । मैं कम्पनी के हित के लिए साईड पर किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं करूँगा, मै कम्पनी के नियमानुसार अपने कार्य क्षेत्र मे अपनी पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ अपने कार्य को पुरा करूँगा अगर मेरे द्वारा किये गये कार्य मे कोई गलती या किसी भी माल मटीरियल कि खराबी करता हूँ जिससे कम्पनी का नुकसान हो या कम्पनी कि बदनामी हो तो मैं उसका स्वयं जिम्मेदार हूँगा । मैं कम्पनी कि शर्तो पर खरा उतर कर कम्पनी को आगे बढ़ाने मे मदद करूँगा, मैं कम्पनी कि शर्तो से अपने पुरे होश हवास मे सहमत हूँ ।

OM MINIRAJ BUILDING AND
CONSTRUCTION SERVICES PVT LTD

ठेकेदार हस्ताक्षर

निर्माण अनुबंध

यह निर्माण अनुबंध नई दिल्ली में 07 फरवरी, 2025 को मेसर्स ओम मिनीराज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड [सीआईएन संख्या U43299DL2023PTC413854] के बीच शॉप नंबर 15, एल-II, मिनी सेंट्रल मार्केट, डीडीए फ्लैट्स, कालकाजी नई दिल्ली-110019 में अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (जिसे आगे प्रथम पक्ष कहा जाएगा) के माध्यम से किया गया है।

और

अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता या मालिक (जिसे आगे द्वितीय पक्ष कहा जाएगा) के माध्यम से किया गया है। पार्टी)।

चूँकि प्रथम पक्ष श्याम कुंज कॉलोनी,

और उसका कब्जा है।

और जबकि प्रथम पक्ष को उक्त प्लॉट पर भवन निर्माण करना है और प्रथम पक्ष ने उक्त प्लॉट पर भवन निर्माण करने के लिए, निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर द्वितीय पक्ष से संपर्क किया है:

1. कि प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के कोटेशन (निर्माण की लागत) पर सहमति व्यक्त की है जो कि अनुलग्नक "ए" के अनुसार निष्पादित किए जाने वाले कार्य की कार्य योजना और विनिर्देश के अनुसार निर्माण पूरा करने के लिए सामग्री के बिना -----/- रुपये प्रति वर्ग फीट है।
2. कि द्वितीय पक्ष कार्ययोजना और विनिर्देश के अनुसार भवन का निर्माण करेगा, सभी संबंधित व्यय, जैसे पुलिस, न्यायालय मामला, चालान और मिसशेपिंग आदि केवल द्वितीय पक्ष द्वारा वहन/जिम्मेदार होंगे।
3. कि द्वितीय पक्ष उक्त भूखंड/संपत्ति पर भूतल का निर्माण करेगा।
4. कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य को ----- महीने के भीतर पूरा करेगा।
5. कि द्वितीय पक्ष अनुबंध के साथ संलग्न विनिर्देशों के अनुसार सख्ती से निर्माण करने का वचन देता है।
6. कि यदि उपरोक्त निर्माण परियोजना में कोई दुर्घटना होती है, तो बिल्डर/द्वितीय पक्ष श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम या लागू किसी अन्य अधिनियम के तहत इसके परिणामों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। निर्माण स्थल पर किसी दुर्घटना में शामिल किसी भी प्रकार का कोई भी वित्तीय व्यय, क्षतिपूर्ति के रूप में होगा या इसमें शामिल कोई भी अन्य व्यय बिल्डर द्वारा वहन किया जाएगा, तथा बिल्डर मालिक/प्रथम पक्ष को मामले में न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए जाने पर पूरी तरह से दोषमुक्त करेगा, वे बिल्डर/द्वितीय पक्ष को उसकी ओर से न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार देंगे। मालिक प्रथम पक्ष किसी भी अवसर पर उक्त संपत्ति के नीचे भूमि पर किसी भवन के प्रस्तावित पुनर्निर्माण के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी कानून, नियम, आदेश, मानदंड आदि की किसी भी अवहेलना के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी नहीं होगा।
7. यदि परियोजना की उपेक्षा की जाती है, देरी होती है या अन्यथा बिल्डर/द्वितीय पक्ष की ओर से अनुबंध के उल्लंघन और चूक के कारण असफल हो जाती है, तो द्वितीय पक्ष/बिल्डर प्रथम पक्ष/स्वामी को सभी दावों, मांगों, क्षतियों और

नुकसानों के विरुद्ध हानिरहित और क्षतिपूर्ति रखने का वचन देता है, जो उसके परिणामस्वरूप उसे भुगतना, उठाना और/या सहना पड़ सकता है।

8. इस दस्तावेज़ की व्याख्या, अधिकारों, कर्तव्यों और देनदारियों, दायित्वों आदि के संबंध में किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में इसे भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1932 के तहत दिल्ली में मध्यस्थ(यों) को भेजा जाएगा और इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ(यों) का निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों के बीच बाध्यकारी होगा।

9. यह लेन-देन नई दिल्ली में किया गया है, इसलिए दिल्ली न्यायालयों को इस समझौते से संबंधित या किसी भी तरह से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद में प्रवेश करने का विशेष अधिकार होगा। जिसके साक्ष्य में, यह निर्माण अनुबंध दिल्ली में निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में किया गया है।

गवाह:

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष



02/07 13:43 | 171 words

OMMINIRAJ BUILDING AND CONSTRUCTION SERVICES PVT LTD.

Contcatar Work Agreement

(1) चुनाई

(2) पलस्तर

(3) कच्चा फर्श

(4) जिना (सिडी)

(1) मैंने कम्पनी से जो रेट मेरा फाईल हुआ है मे उसी रेट मे इसमे अच्छी चुनाई पलस्तर कच्चां फर्श सब कुछ तैयार करके दिये हुये टाईम पर पुरा करके दुगा चुनाई पलस्तर लैनटर लगाने तक कि सारी शटरिंग इसमे चाली बरगा बल्ली कसी तसला गेती व अन्य कार्य करते वक्त जो समान कि मुझे जरूरत पडेगी वह सब कुछ मेरा अपना होगा या मै उसे किराये पर लागुगा ये मेरी जिम्मेदारी होगी

(2) छत के उपर मै केवल पानी को रोकने के लिए केवल 2 ईट कि चुनाई करके दुगा अगर इससे उपर कि चुनाई होगी तो उसका रेट अलग से तय किया जावे

(3) मकान के अन्दर जिना (सिडी) का रेट मेरे दिये गये रेट डेडा रेट होगा

(4) उपर छत पर बनने वाली मोमटी का रेट अलग से होगा

मै OMMINIRAJ BUILDING AND CONSTRUCTION SERVICES PVT LTD

का कंस्ट्रक्शन पुरी ईमानदारी एव अपनी निषटा भाव से पुरी करुगा